



राजस्थान सरकार

उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.7(9) उद्योग/ग्रुप-2/2008

दिनांक: 16.03.2024

—: अधिसूचना :—

श्रीयादे माटी कला बोर्ड के मेमोरण्डम ऑफ एसोसिएशन के नियम 6.4.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री प्रहलाद टांक को श्रीयादे माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(मुकुल शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. अति. मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (समस्त)।
7. श्री प्रहलाद टांक, अध्यक्ष, श्रीयादे माटी कला बोर्ड, जयपुर।
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम/राजस्थान वित्त निगम/रीको/रूडा/बीआईपी/राजसीको/राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., जयपुर।
9. आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. आयुक्त, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग।
12. शासन उप सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय, जयपुर।
13. संयुक्त शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-2) विभाग/राजकीय उपक्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित किये जाने के क्रम में प्रेषित है।
15. सचिव, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव